राजस्थान कर बोर्ड,अजमेर

संशोधन प्रार्थना पत्र 47/2015/अलवर
संशोधन प्रार्थना पत्र 48/2015/अलवर
मैसर्स राज सोलवैक्स लिमिटेड
अलवर अपीलार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
घट–प्रथम,वृत–बी,भिवाडी,अलवर प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थित
श्री अलकेश शर्मा
अभिभाषक अपीलार्थी की ओर से
श्री आर.के. अजमेरा
उप राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांकः 03.08.2016

निर्णय

ये दोनों संशोधन प्रार्थना पत्र अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिससे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 33 के अन्गतर्गत राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा अपील संख्या 157 व 158/2010/अलवर में पारित निर्णय 29.10.2015 में संशोधन हेतु प्रस्तुत किये गये हैं। चूँकि दोनों संशोधन प्रार्थना पत्रों एक ही व्यवहारी से सम्बन्धित होने तथा समान बिन्दु निहित होने से इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियॉ पृथक–पृथक पत्रावलियों पर रखी जाये।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 01.01.2000 को वाहन संख्या जीजे. 12वी/6257 एवं वाहन संख्या जीजे 12वी/9770 को भिवाडी अलवर रोड पर चेक किया गया। वक्त चेकिंग वाहन में लदे माल से सम्बन्धित सम्बन्धित दस्तावेज मांगे जाने पर वाहन चालकों ने बिल एवं बिल्टियों के साथ घोषणा पत्र एस टी 18ए संख्या 20427/17 एवं 20427/18 प्रस्तुत किये, जिनके समस्त कॉलम रिक्त थे। कर निर्धारण अधिकारी ने वक्त चेकिंग रिक्त घोषणा पत्र प्रस्तुत किये जाने के कारण अधिनियम की धारा 78 (2)(ए) सपठित नियम 53 का उल्लंन होने से कारण बताओ नोटिस जारी किये गये। जारी नोटिस की पालना में प्रस्तुत उत्तर को सन्तोषप्रद नहीं मानते हुए अधिनियम की धारा 78 (5) के अन्तर्गत क्रमशः रू. 1,40,481/–एवं रू. 1,41,570/–की शास्तियॉ आरोपित कर दी। उक्त आरोपित शास्तियों से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर उन्होंने आरोपित शास्तियों को यथावत रखते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलें अस्वीकार कर दी। अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध कर बोर्ड के समक्ष अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से अपीलें प्रस्तुत करने पर कर बोर्ड की माननीय एकलपीठ द्वारा निर्णय

निर्णय दिनांक 29.10.2015 में " कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किये जाने पर अपीलार्थी की ओर से कोई नया घोषणा पत्र एस टी 18 प्रस्तुत नहीं किया गया" अंकित करते हुए अपीलाार्थी व्यवहारी की ओर प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार कर अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण आदेशों की पुष्टि कर दी।

अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अभिवाक् किया कि माननीय एकलपीठ द्वारा यह मानकर अपीलें अस्वीकार की गई है कि नोटिस की पालना में अपीलार्थी की ओर से कोई नया घोषणा पत्र एस टी 18ए प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि नोटिस की पालना में घोषणा पत्र एस टी 18ए संख्या 12446/7 व 12446/8 प्रस्तुत किये गये है, जो कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली पर उपलब्ध हैं, जिससे रिकार्ड से भूल परिलक्षित होती है, जो संशोधनीय है। अतः प्रस्तुत दोनों संशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उप राजकीय अभिभाषक द्वारा कर बोर्ड के निर्णय दिनांक 29.10.2015 विधिक बताते हुए प्रस्तुत दोनों संशोधन प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने का निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। माननीय एकलपीठ द्वारा यह मानकर अपीलें अस्वीकार की गई है कि नोटिस की पालना में अपीलार्थी की ओर से कोई नया घोषणा पत्र एस टी 18ए प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि नोटिस की पालना में घोषणा पत्र एस टी 18ए संख्या 12446/7 व 12446/8 प्रस्तुत किये गये हैं, जो कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली पर उपलब्ध हैं।

अपीलार्थी की ओर से बहस के दौरान बताये गये तथ्यों के परिपेक्ष्य में रिकार्ड का अवलोकन किया गया, जिससे जाहिर होता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी किये गये नोटिस की पालना में जवाब के साथ घोषणा पत्र एस टी18ए प्रस्तुत किये गये हैं, जो पत्रावली पर उपलब्ध है। निर्णय दिनांक 29.10.2015 के पेज 3 के पैरा में निम्न प्रकार अंकित किया गया है :–

"कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किये जाने पर अपीलार्थी की ओर से कोई नया घोषणा पत्र एस टी 18 प्रस्तुत नहीं किया गया हैं.....।"

अपीलार्थी के कथन की सत्यता की जांच उपलब्ध रिकार्ड से करने पर स्पष्ट है कि घोषणा पत्र एस टी 18ए पत्रावली पर उपलब्ध है जिससे निर्णय दिनांक

29.10.2015 में रिकार्ड से परिलक्षित भूल प्रकट होती है, जो अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत संशोधन योग्य होने संशोधित की जाती है। फलस्वरूप अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत दोनों संशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाकर निर्णय दिनांक 29.10.2015 में संशोधन किया जाकर निम्न निष्कर्ष दिया जाता है :–

"अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों को अपास्त कर अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत दोनों अपीलें स्वीकार की जाती हैं।"

निर्णय सुनाया गया ।

(सुनील शर्मा)
सदस्य